

निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/शिविर/2016-17/

दिनांक

जिला आयुर्वेद अधिकारी,

निम्नानुसार

विषय:- वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 10 दिवसीय आयुर्वेद अन्तरंग चिकित्सा शिविर लगाने हेतु बजट आवंटन बाबत।

वर्ष 2016-17 में अनुसूचित जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में 10 दिवसीय आयुर्वेद अन्तरंग चिकित्सा शिविर लगाने हेतु बजट मद 2210-04-796-(01)-[01] - 30 (उत्सव और प्रदर्शनिया) आयोजना मद में निम्नानुसार बजट आवंटन किया जाता है।

क्र. सं.	आहरण एवं वितरण अधिकारी	दस दिवसीय अतरंग शिविर की संख्या	आवंटित राशि (लाख रूपयों में)
1	जि.आ.अ. बाडमेर	1	2.00
2	जि.आ.अ. बूंदी	1	2.00
3	जि.आ.अ. कोटा	1	2.00
4	जि.आ.अ. राजसमंद	1	2.00
5	जि.आ.अ. दौसा	1	2.00
6	जि.आ.अ. सिरोही	1	2.00
7	जि.आ.अ. बांसवाडा	1	2.00
8	जि.आ.अ. झालावाड	1	2.00
9	जि.आ.अ. डूंगरपुर	1	2.00
10	जि.आ.अ. बारां	1	2.00
11	जि.आ.अ. सवाई माधोपुर	1	2.00
12	जि.आ.अ. उदयपुर	1	2.00
13	जि.आ.अ. प्रतापगढ़	1	2.00
14	जि.आ.अ. धौलपुर	1	2.00

- 1 उपरोक्तानुसार राशि का व्यय निदेशालय के पत्र क्रमांक प.3/सामा-3/वि.स.यो/शिविर/2016-17/13507-08 दिनांक 17-06-2016 के निर्देशानुसार सम्बन्धित नियमों/निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित प्रयोजन हेतु किया जावे।
- 2 प्रस्तावित शिविर का संचालन उपलब्ध मैनपावर एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर से कराया जाना सुनिश्चित करावे।
- 3 प्रावधित राशि का उपयोग आर.टी.पी.पी. एक्ट/रूल्स के प्रावधानों, नियत प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए उपलब्ध प्रावधान की सीमा अन्तर्गत ही कराया जाना सुनिश्चित करावे। आवंटित राशि से अधिक राशि का व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जावे।

क्रमांक :- प2/लेखा-1/प्लान/बआ/शिविर/2016-17/14838

निर्देशक

दिनांक 5-7-16

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1 अतिरिक्त आयुक्त, जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राजस्थान उदयपुर।
- 2 समस्त उपनिदेशक आयुर्वेद विभाग राजस्थान।
- 3 प्रभारी सामान्य शाखा/सांख्यिकी/लेखा-4, कार्यालय हाजा।
- 4 प्रभारी अधिकारी, शल्य चल चिकित्सा इकाई अजमेर को देकर निर्देशित किया जाता है कि जिला आयुर्वेद अधिकारियों से सम्पर्क कर शिविरों का सफल आयोजन करावें।

5- कृपया 21/7/16 को 10 दिवसीय शिविर का आयोजन करवावे।

वर्ष  
वित्तीय सलाहकार,